<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

दांडिक प्रकरण क :- 12 / 18 संस्थापन दिनांक:-23 / 01 / 18 फायलिंग नं. 28 / 2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

राजकुमार पिता नंजू तुमराम, उम्र 27 वर्ष, निवासी दुलारा, थाना सारणी जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 23.01.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13.01.2018 को समय दोपहर 11:45 बजे स्थान थाना आमला से 01 किलोमीटर पूर्व में स्थित गणेश कॉलोनी फरियादी का घर पर ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फदियादी दिनांक 13.01. 2018 को अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तभी एक स्वराज द्रेक्टर 735 क. एमपी—48—ए—6277 का चालक तेजी गित व लापरवाही पूर्वक टेक्टर चलाते लाया और उसके आंगन में टक्कर मारते हुए उसके घर में द्रेक्टर घुसा दिया। टक्कर से उसे बांये कंधे, हाथ, पैर के पंजे एवं दांहिने पैर के अंगूठे में चोट आयी एवं मकान की दीवार, गेट टूट गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट को थाना आमला में देहाती नालसी क. 0/18 में दर्ज कर स्वराज द्रेक्टर 735 क एमपी—48—ए—6277 के चालक के विरूद्ध अपराध क. 18/18 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। नुकसानी पंचनामा बनाया गया। घटना स्थल से द्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 एवं द्राली क. एमपी—48—ए—6278 तथा अभियुक्त से उक्त वाहन का मूल रिजस्ट्रेशन एवं द्रायविंग लायसेस जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 337, 427 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने द्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

11 विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।। विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 6 फरहीन (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त को न जानना प्रकट करते हुए बताया है कि घटना 10—12 दिन पूर्व की उसके घर की है। घटना के समय वह अपने घर के आंगन में झाडू लगा रही थी तभी किसी अज्ञात देक्टर ने आकर उसके घर की आंगन की दीवार तोड़ते हुए उसे टक्कर मार दी थी। देक्टर घर की दीवार में घुस गया था तथा उसे बांये कंधे, हाथ एवं पैर के पंजे एवं अंगूठे में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने पुलिस को देहाती नालसी (प्रदर्श पी—1) दर्ज करवायी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।
- 7 साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय स्वराज द्वेक्टर 735 क. एमपी—48—ए—6277 के चालक ने तेज गित एवं लापवारी पूर्वक द्वेक्टर को चलाकर उसके घर की दीवार पर घुस गया था तथा मुझे टक्कर मार दी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह सही होना बताया है कि उसे टक्कर मारने वाले चालक का नाम नहीं पता और न ही वह उसे चेहरे से पहचानती है। साक्षी ने इस बात को भी सही बताया है कि उसे टक्कर मारने वाले द्वेक्टर का क्रमांक नहीं पता है। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि किसी अज्ञात द्वेक्टर ने आकर घर में की दीवार में घुसकर उसे टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस बात को भी सही बताया है

कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय एवं बयान देते समय द्रेक्टर का क्रमांक नहीं बताया था। फरियादी के द्वारा ही घटना का समर्थन नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेह की परिधि में आता है।

8 उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 का संचालन किया जा रहा था, तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया हो तथा उक्त ट्रेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 को बिना बीमा के चलाया गया हो। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.दं.सं. एवं धारा 146 / 196 मोटरयान अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने द्वेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त राजकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11 प्रकरण में जप्तशुदा द्वेक्टर क. एमपी—48—ए—6277 एवं द्वाली क. एमपी—48—ए—6278 मय दस्तावेज के उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदाय किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)